न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या: 298/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/423)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुरजन्ट सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. बेअन्त सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. हरजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर।		1. सुखवन्त सिंह पुत्र दिलबाग सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. निर्मल कौर पत्नी दिलबाग सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. इन्द्रजीत कौर पुत्री दिलबाग सिंह जाति जटसिख निवासी 27 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादीगण तारीख रजू 27.10.2023
2.श्री रोशन लाल राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

--निर्णय-- दिनांक: 18.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 2, 12 की कुल 3.441 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ मौखिक बंटवारा कर रखा है। मौखिक बंटवारा अनुसार वादी का कब्जा काश्त चक 27 एच के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 3 सालम-सालम, किला नम्बर 8 ता 12 सालम-सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.139 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 ता 22 सालम-सालम, कुल 3.175 हैक्टेयर भूमि पर है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 27 एच के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 3 सालम-सालम, किला नम्बर 8 ता 12 सालम-सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.139 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 ता 22 सालम-सालम, कुल 3.175 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जवाबदावा बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जबवादावा बन्द है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। अधिवक्तागण ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

गुरजन्ट सिंह आदि बनाम सुखवन्त सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 आरटीए
प्रकरण संख्या 298/2023

-:आदेश:-

4. अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि चक 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 2, 12 की कुल 3.441 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजसव रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}
(civil procedure code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
गुरजन्ट सिंह बनाम सुखवन्त सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 53 आरटीए मुकदमा नम्बर 298/2023
निर्णय दिनांकः-18.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री रोशनलाल राठौड के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 27 एच पटवार हल्का 26 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 24/24 के मुरब्बा नम्बर 2, 12 की कुल 3.441 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजसव रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें**। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। आज दिनांक 18.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**02**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांकः 18.06.2024

क्रमांकः रीडर/2024/296
प्रतिलिपिः- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते